राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम[1]

(दिनांक 15.05.2025 को अद्यतित)

केन्द्रीय सरकार, औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में उक्त संस्थान के व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के निम्नलिखित प्रथम परिनियमों को प्रकाशित करती हैं :-

1. संक्षिप्त नाम - इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम है।

2. परिभाषाएं –

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 अभिप्रेत है;

(ख) "विद्या योजना तथा विकास समिति" से संस्थान की विद्या संबंधी योजना तथा विकास समिति अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकारियों ", " अधिकारियों" तथा "प्रोफेसरों" से संस्थान के क्रमशः प्राधिकारी, अधिकारी तथा प्रोफेसर अभिप्रेत हैं;

(घ) "बोर्ड" से संस्थान का व्यवस्थापक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "संकायाध्यक्ष" से संस्थान का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ज) "वित्त समिति" से संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(झ) "विभागाध्यक्ष" से संस्थान के संबंधित विभाग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

[2][(ञ) 'संस्थान' से उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित कोई भी संस्थान अभिप्रेत है;]

(ट) "प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति" से संस्थान की प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति अभिप्रेत है।

[1] मूल क़ानून भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 8.11.2003 को संख्या सा.का.नि. 391, दिनांक 30.10.2003 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 433(अ), दिनांक 3.7.2014 (7.7.2014 से प्रभावी), संख्या सा.का.नि. 355, दिनांक 27.11.2019 (30.11.2019 से प्रभावी), संख्या सा.का.नि. 113, दिनांक 24.8.2022 (27.8.2022 से प्रभावी), संख्या जी.एस.आर.694 (अ), दिनांक 13.9.2022 (13.9.2022 से प्रभावी) और संख्या 692 (अ), दिनांक 25.9.2023 (26.9.2023 से प्रभावी)।

[2] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 113, दिनांक 24.8.2022 (27.8.2022 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पहले, खंड (ञ) निम्नानुसार था:
"(ञ) "संस्थान" से राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 के अधीन निगमित राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान साहिबजादा अजीत सिंह नगर अभिप्रेत है।

(ठ) "अध्यादेश" से संस्थान के अध्यादेश अभिप्रेत है;

(ड) "प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी" से संस्थान का प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ़) "प्रधान विज्ञान अधिकारी" से संस्थान का प्रधान विज्ञान अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) "रजिस्ट्रार" से संस्थान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(त) "सीनेट" से संस्थान का सीनेट अभिप्रेत है;

(थ) संस्थान के निवास के हाल के संबंध में "वार्डन" से उसका वार्डन अभिप्रेत है।

3. बोर्ड, सीनेट तथा समितियां

3.1 बोर्ड

3.1.1 संरचना

बोर्ड की संरचना अधिनियम की धारा 4 (3) के उपबंधों के अनुसार होगी।

IndiaCode

3.1.2 कृत्य तथा शक्तियां

अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अतिरिक्त, बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां होगी :-

(क) निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उपलब्धियां अवधारित करना तथा संस्थान के कर्मचारियों के कर्तव्यों तथा सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(ख) उन प्रोफेसरों, सह प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की समतुल्य ग्रेडों में नियुक्ति करता, जो इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समितियों की सिफारिश पर आवश्यक हों;

(ग) परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करता तथा लागू करना;

(घ) संस्थान के वित्तों, लेखों, विनिधानों, संपति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनीय कार्यों का प्रबंध करना तथा उन्हें विनियमित करना और इस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना, जितने वह ठीक समझे;

(ङ) वित्त समिति की सिफारिशों पर किसी वर्ष के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना;

(च) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान के किसी धन का, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसी रीति में निवेश करना, जो वह ठीक समझे या भारत में अचल संपत्ति के क्रय में विनिधान करना;

(छ) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान की ओर से किसी भी चल या अचल संपत्ति का अंतरण करना या अंतरणों को स्वीकार करना;

(ज) संस्थान के कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्र तथा अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(झ) संस्थान की ओर संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका निष्पादन तथा उन्हें रद्द करना;

(ञ) संस्थान के कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय देना तथा उचित पाए जाने पर उन्हें दूर करना;

(ट) संस्थान के लिए एक सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा तथा प्रयोग के लिए उपबंध करना;

(ठ) अपनी ऐसी किसी भी शक्ति को संस्थान के अध्यक्ष, निदेशक, संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजित करना, जिसे वह ठीक समझे;

(ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाए;

3.1.3 अधिवेशन

(क) बोर्ड के अधिवेशन साधारणतया वर्ष में तीन बार होंगे।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा स्वयं की पहल पर या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र के द्वारा बुलाए जाएंगे। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन विशेष अधिवेशन होगा, जिस पर कार्यसूची की केवल उन्हीं मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा जिनके लिए मांग की गई है। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा ऐसे मांगपत्र की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर उसकी सुविधानुसार तारीख और समय पर बुलाया जाएगा।

(ग) बोर्ड के अधिवेशन के लिए अपेक्षित गणपूर्ति वास्तविक सदस्य-संख्या का 1/3 भाग होगी।

(घ) रजिस्ट्रार ऐसे अधिवेशन की तारीख से तीन सप्ताह से अन्यून की सूचना देकर बोर्ड के सदस्यों को अधिवेशन में आमंत्रित करेगा। सदस्य, यथास्थिति, अपनी शासकीय/व्यक्तिगत हैसियत से अधिवेशन में उपस्थित होंगे। तथापि, सूचना की अवधि अध्यक्ष/निदेशक तथा बोर्ड के तीन अन्य सदस्यों की पूर्व सहमति से कम या समाप्त की जा सकेगी।

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा अधिवेशन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व बोर्ड के सदस्यों को कार्यसूची भेजी जाएगी। अध्यक्ष ऐसी किसी भी मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जिसके लिए सम्यक् सूचना नहीं दी जा सकी हो।

(च) बोर्ड अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा सभी मामलों का विनिश्चय करेगा। मत के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(छ) अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु यदि अध्यक्ष तथा निदेशक अनुपस्थित हैं तथा विचारणीय मामले तात्कालिक और महत्वपूर्ण हैं, तब उपस्थित सदस्य विशिष्ट मामले पर विचार करने के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

(ज) अधिवेशन में प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(झ) यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अनुपस्थित रहने के लिए बोर्ड की अनुमति के बिना निरंतर तीन अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

(ञ) बोर्ड के सभी आदेश तथा विनिश्चय रजिस्ट्रार या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे।

(ट) बोर्ड के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और बोर्ड के सभी उपस्थित सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे। सुझाए गए संशोधनों सहित, यदि कोई हो, कार्यवृत्त को बोर्ड के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत की पुष्टि करने और अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा जो कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर बोर्ड के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखी जाएगी।

3.2 सीनेट

3.2.1 संरचना

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति सीनेट के सदस्य होंगे:-

(क) निदेशक जो सीनेट का अध्यक्ष होगा।

(ख) संकायाध्यक्ष।

(ग) अधिनियम की धारा 13 (ग) के अनुसार नामनिर्दिष्ट संस्थान के पांच प्रोफेसर।

(घ) अधिनियम की धारा 13(घ) के अनुसार नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति।

(ड.) चक्रानुक्रम में नियुक्त संस्थान का एक सह-प्रोफेसर।

(च) चक्रानुक्रम में संस्थान का एक सहायक प्रोफेसर।

(छ) उपरोक्त द्वारा प्रतिनिधित्व रहित किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष।

3.2.2 कृत्य

अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सीनेट निम्नलिखित कृत्य करेगी :

(क) विभिन्न विभागों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण तैयार करना और उन्हें पुनरीक्षित करना।

(ख) परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्थाएं करना।

(ग) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना।

(घ) संस्थान के विभागों/केंद्रों के लिए, उनके कार्यों से संबंधित शैक्षणिक मामलों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सलाहकार समितियों या विशेषज्ञ समितियों या दोनों को नियुक्ति करना; संबंधित विभागों /केन्द्रों के अध्यक्ष ऐसी समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

(ङ) सीनेट द्वारा ऐसी किसी समिति को निर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक मामलों के संबंध में सलाह देने के लिए संस्थान के संकाय सदस्यों में से समितियों तथा बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना।

(च) विभिन्न विभागों/केन्द्रों से संबद्ध सलाहकार समितियों की तथा विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना तथा यथापेक्षित कार्रवाई करना।

(छ) विभागों /केन्द्रों के कार्य का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा यथापेक्षित उचित कार्रवाई करना।

(ज) पुस्तकालय तथा सूचना सेवा/केन्द्रीय सहायता केन्द्र तथा किसी अन्य गैर-शिक्षण विभाग/केन्द्र के कार्य का समय-समय पर पुनरीक्षण करना तथा यथापेक्षित कार्रवाई करना।

(झ) संस्थान के कार्य, प्रवेश अनुशासन, उपस्थिति, अध्येतावृत्ति, वजीफा, छात्रवृत्ति, मैडल और पुरस्कार प्रदान किए जाने, फीसों, आवासों, रियायतों तथा कैम्पस जीवन-उपस्थिति के संबंध में ऐसे विनियम और नियम बनाना, जो परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हीं।

(ञ) संस्थान की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य अधीक्षण करना और शिक्षा पद्धति और संस्थाओं में सहकारी शिक्षण संबंधी निर्देश देना।

(ट) स्वयं की पहल पर या किसी विभाग / केन्द्र या बोर्ड द्वारा निदेश किए जाने पर सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना तथा उस पर उचित कार्रवाई करना।

[3][(ठ) संस्थान के गवर्नर्स बोर्ड में दो प्रोफेसरों को नामित करना।]

3.2.3 अधिवेशन

(क) सीनेट का अधिवेशन उतनी बार जितना आवश्यक हो, किन्तु छह मास में कम से कम एक बार होगा।

[3] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 113, दिनांक 24.8.2022 (दिनांक 27.8.2022 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।

IndiaCode

(ख) सीनेट के अधिवेशन सीनेट के अध्यक्ष द्वारा स्वयं की पहल पर या सीनेट के बीस प्रतिशत से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र दिये जाने पर बुलाया जाएगा। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन विशेष अधिवेशन होगा, जिसमें कार्यवृत की केवल उन्हीं मदों पर विचार किया जाएगा जिनके लिए अधिवेशन बुलाने की मांग की गई है। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा ऐसे मांगपत्र को प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर उसकी सुविधानुसार तारीख और समय पर बुलाया जाएगा। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिएं।

(ग) निदेशक सीनेट के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में संकायाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा तथा निदेशक और संकायाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम प्रोफेसर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(घ) निदेशक, आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर सीनेट का आपातकालीन अधिवेशन बुला सकेगा।

(ङ) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सीनेट के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(च) सीनेट के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और सीनेट के सभी सदस्यों को भेजे जाएंगे। सुझाए गए संशोधनों, यदि कोई हों, सहित कार्यवृत्त को सीनेट के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत्त के सीनेट के अध्यक्ष द्वारा पुष्टि तथा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा, जिसे कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर सीनेट के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा।

(छ) सीनेट के सभी आदेश तथा विनिश्चय, रजिस्ट्रार या इस निमित्त सीनेट द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे।

3.3 विद्या योजना और विकास समिति

यह घोषित किया जाता है कि विद्या योजना और विकास समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण भी होगी।

3.3.1 संरचना

3.3.1.1 समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

(क) व्यवस्थापक द्वारा संस्थान के बाहर से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला सजातीय विद्याओं का एक विख्यात शिक्षाविद्/वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद, जो उक्त समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) संस्थान का निदेशक;

(ग) निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान का एक प्रोफेसर;

(घ) शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं से और औषधीय उद्योगों से औषध निर्माण और संबद्ध विज्ञानों की विभिन्न विद्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छह बाह्य विशेषज्ञ, जिन्हें निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; तथा

(ङ) संकायाध्यक्ष, जो सदस्य सचिव होगा।

समिति प्रत्येक तीन वर्षों में पुनर्गठित की जाएगी। खंड 3.3.1.1 (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत होंगे तथा उनके स्थान पर नये नामनिर्देशन किए जाएंगे। तथापि, प्रथम समिति में क्रमशः एक-तिहाई सदस्य एक वर्ष के पश्चात् तथा और एक तिहाई सदस्य दो वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत्त होंगे।

3.3.2 कृत्य

(क) विद्या संबंधी योजना और विकास के संबंध में बोर्ड को सहायता और सलाह देना तथा संस्थान के शैक्षणिक अनुसंधान तथा परामर्शी क्रियाकलापों को मॉनीटर करना।

(ख) (i) कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन तथा उन्हें समाप्त करने, तथा (ii) ऐसे पदों से संबद्ध उपलब्धियों और कर्त्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना।

(ग) शिक्षण और अनुसंधान में अंतर-अनुशासनिक सहयोग के लिए उपायों का सुझाव देना।

3.3.3 अधिवेशन

(क) विद्या योजना और विकास समिति के अधिवेशन उतनी बार, जितनी आवश्यक हो, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार होंगे।

(ख) विद्या योजना और विकास समिति के अधिवेशन निदेशक द्वारा बुलाए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संकायाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अधिवेशन में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिएं।

3.4 वित्त समिति

यह घोषित किया जाता है कि वित्त समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण होगी।

3.4.1 संरचना

3.4.1.1 समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) संकायाध्यक्ष, जो निदेशक की अनुपस्थिति में अधिवेशन का अध्यक्ष भी होगा;

(ग) भारत सरकार के रसायन और पैट्रो रसायन विभाग का निदेशक (वित्त) / उप वित्तीय सलाहकार;

(घ) शिक्षा, अनुसंधान तथा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति;

(ङ) रजिस्ट्रार जो सदस्य सचिव होगा।

3.4.1.2 समिति का प्रत्येक तीन वर्ष में पुर्नगठन किया जाएगा।

3.4.2 कृत्य

(क) लेखाओं की परीक्षा करना तथा व्यय संबंधी प्रस्तावों को संवीक्षा करना।

(ख) संस्थान के वास्तविक लेखाओं तथा वित्तीय परिकलनों पर विचार करना और उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत करना।

(ग) संस्थान की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना।

3.4.3 अधिवेशन

समिति के अधिवेशन, उतनी बार जितने आवश्यक हों, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार होंगे। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

3.5 प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति

यह घोषित किया जाता है कि भवन और निर्माण समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण भी होगी।

IndiaCode

3.5.1 संरचना

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा :

(ख) संकायाध्यक्ष, जो निदेशक की अनुपस्थिति में अधिवेशनों की अध्यक्षता भी करेगा;

(ग) बोर्ड का एक नामनिर्देशिती;

(घ) भारत सरकार के रसायन और पैट्रो रसायन विभाग का निदेशक (वित्त) / उप वित्तीय सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती;

(ङ) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी, जो अधीक्षण इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो, या उसका नामनिर्देशिती जो कार्यपालक इंजीनियर को पंक्ति से नीचे का न हो;

(च) संस्थान के निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला संस्थान का एक प्रोफेसर;

(छ) संस्थान का मुख्य अनुरक्षण इंजीनियर;

(ज) रजिस्ट्रार, जो सदस्य सचिव होगा।

3.5.2 कृत्य

(क) बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् सभी प्रमुख बड़े संकर्मों को अनुमोदित करना;

(ख) लघु कार्यों तथा अनुरक्षण और मरम्मत से संबद्ध कार्यों के लिए दो लाख रुपए के मूल्य से अधिक के कार्यों के प्रयोजन के लिए संस्थान के पास रखे अनुदान के भीतर रहते हुए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी देना;

(ग) भवनों और अन्य पूँजी कार्यों, लघु कार्यों, मरम्मतों, अनुरक्षण तथा समान कार्यों के खर्च के परिकलनों को अभिलिखित करना;

(घ) अनिवार्य होने पर ऐसी तकनीकी जांच-पड़ताल करना जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाए;

(ङ) विभागीय कार्यों के लिए उपयुक्त ठेकेदारों की सूची तैयार करना तथा जहां आवश्यक हो, निविदाएं स्वीकार करना और निदेश देना;

(च) निविदा के अन्तर्गत न आने वाली दरें निर्धारित करना तथा ठेकेदारों के दावों और विवादों का निपटारा करना;

(छ) संस्थान के भवनों के निर्माण तथा भूमि विकास के विषय में ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे सौपे जाएं:

(ज) संस्थान की प्रयोगशाला सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रणाली का विकास करना।

3.5.3 अधिवेशन

(क) समिति के अधिवेशन उतनी बार, जितने आवश्यक हों, किन्तु वर्ष में कम से काम दो बार होंगे। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिएं।

(ख) आपात मामलों में समिति का अध्यक्ष समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसे मामले उसके द्वारा समिति तथा बोर्ड को, समिति और बोर्ड के अगले अधिवेशन में रिपोर्ट किए जाएंगे।

3.6 चयन समितियां

गणपूर्ति: अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्य संख्या का 50%।

प्रोफेसरों, सह-प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, रजिस्ट्रार प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, प्रधान विज्ञानी अधिकारी के पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए चयन समितियां होंगी। नीचे सारणी-1 के स्तंभ में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी

(1)	(2)
प्रोफेसर/सह प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर	- अध्यक्ष : बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात वैज्ञानिक/शिक्षा विद्/वृत्तिक/ प्रौद्योगिकी विद्। - बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट ख्यातिप्राप्त एक शिक्षा विद्/वैज्ञानिक। निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संबद्ध विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम दो बाह्य विशेषज्ञ। - निदेशक, पदेन।

प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी/प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य तकनीकी कर्मचारिवृंद	(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा । (ख) संकायाध्यक्ष । (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ ।
रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार/अन्य प्रशासनिक कर्मचारिवृंद	(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा । (ख) संकायाध्यक्ष । (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ । (घ) रजिस्ट्रार जो, रजिस्ट्रार के पद के अलावा, समिति का सचिव भी होगा।
ऊपर दर्शाए गए वर्गों के अंतर्गत न आने वाले ऐसे अन्य पद, जिनका वेतमान ऐसा है, जिसमें अधिकतम वेतन 3050/- रुपए प्रतिमास से अधिक है	(क) निदेशक या उसका नामनिर्देशिती, जो समिति का अध्यक्ष होगा। (ख) यथास्थिति, संबद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष या रजिस्ट्रार। (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान के कर्मचारिवृंद में से दो सदस्य।

टिप्पण 1: नियम द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण व्यवस्था के भीतर रहते हुए चयन समिति को किसी पदधारी के आरंभिक वेतन को, उस पद को बाबत, जिसमें अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जा सकती है, न्यूनतम वेतनमान से अधिक स्तर पर नियत करने की शक्ति होगी।

[*][4] विलोपित**

टिप्पण 3: निदेशक की अनुपस्थिति में संस्थान के कर्मचारिवृंद का कोई सदस्य, जो निदेशक के वर्तमान कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, निदेशक के स्थान पर चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

टिप्पण 4: संकायाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक उसके स्थान पर चयन समितियों के संबंध में कार्य करने के लिए संस्थान के कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

टिप्पण 5: जहां कोई पद आमंत्रण द्वारा भरा जाना है, वहां अध्यक्ष अपने विवेकानुसार ऐसी तदर्थ चयन समितियां गठित कर सकेगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

टिप्पण 6: इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी निदेशक को " अनुमोदित" परियोजनाओं के अधीन ऐसी रीति में, जिसे यह ठीक समझे, व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। रजिस्ट्रार ऐसी "अनुमोदित" परियोजनाओं की सूची रखेगा।

[4] अधिसूचना संख्या सा.का.नि.433(अ), दिनांक 3.7.2014 (7.7.2014 से प्रभावी) द्वारा विलोपित किया गया है। विलोपित होने से पूर्व, नोट 2 इस प्रकार था: "टिप्पण 2: चयन समिति पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संविदा के आधार पर पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करेगी तथा संविदा को निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा समान निबंधों पर नवीकृत किया जा सकेगा।"

टिप्पण 7: यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाना है, तो पद के निबंधन और शर्ते रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित की जाएंगी और विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा:

परन्तु चयन समिति पर्याप्त कारणों से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर भी विचार कर सकेगी।

टिप्पण 8: चयन समिति ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिन्होंने आवेदन किया है, विश्वसनीयता की जांच करेगी और चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए या अन्यथा समिति की जानकारी में लाए गए अन्य उपयुक्त नामों पर भी, यदि कोई हों, विचार कर सकेगी। चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कर सकेगी जिन्हें अध्यक्ष ठीक समझे और चयन किए गए अभ्यर्थियों के नामों को योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करके, यथास्थिति, बोर्ड या निदेशक को अपनी सिफारिशें करेगी।

टिप्पण 9 : चयन समिति के किसी कार्य या कार्यवाहियों को मात्र चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

टिप्पण 10: रजिस्ट्रार अधिवेशन की सूचना समिति के सदस्यों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले देगा।

टिप्पण 11 : जब तक इन परिनियमों के अधीन अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति उस पद के संबंध में नियुक्ति किए जाने के समय तक अपना कार्य करने के लिए पात्र होगी।

टिप्पण 12 : निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से पैरा 3.6 में वर्णित किसी पद की बाबत पात्रता की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

टिप्पण 13 : (संस्थान में की गई सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में दी जाएगी)।

बोर्ड, सीनेट तथा सभी समितियों के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से अधिवेशन की गणपूर्ति होगी। परंतु यदि कोई अधिवेशन गणपूर्ति की कमी के कारण स्थगित किया जाता है, तो वह अधिवेशन उसी तारीख को, अधिवेशन कराने के लिए नियत समय से कम से कम आधे घंटे के पश्चात् होगा तथा इस प्रकार उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

अधिवेशनों की सूचनाओं, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और बोर्ड के अधिवेशनों को लागू कार्यवृत्त की पुष्टि से संबंधित इन परिनियमों के उपबंधों का, जहां तक संभव हो, समिति के अधिवेशनों के संबंध में पालन किया जाएगा।

4. संकाय की भर्ती

4.1 अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रवर्ग के प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित न्यूनतम अर्हता और अनुभव संबंधी अपेक्षा को पूरा करता हो। तथापि, इन परिनियमों में किन्हीं और अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्यथा उत्कृष्ट योग्यता वाले अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताओं और अनुभव को शिथिल किया जा सकता है।

4.1.1 सहायक प्रोफेसर: उपयुक्त शाखा में पी.एच डी. के साथ पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और साथ में आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 5 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान औद्योगिक अनुभव।

4.1.2 सह प्रोफेसर: उपयुक्त शाखा में पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और पी. एच डी. के साथ में आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 8 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान/ औद्योगिक अनुभव तथा औषध तथा संबद्ध क्षेत्रों में ज्ञान में किए गए आरंभिक योगदान के लिए स्थापित प्रतिष्ठा।

4.1.3 प्रोफेसर: उपयुक्त शाखा में पी. एच डी. के साथ पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान/औद्योगिक अनुभव तथा औषध तथा संबद्ध क्षेत्रों में जान में विशिष्ट आरंभिक योगदान देने में सुप्रसिद्ध और स्थापित प्रतिष्ठा।

4.2 भर्ती राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिनियमों के पैरा 3.6 के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

4.3 चयन समिति की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

4.4 अपवादिक रूप से सुयोग्य किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति निदेशक, संकायाध्यक्ष तथा संबद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष से मिलकर बनी विशेष समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् निदेशक द्वारा तदर्थ अतिरिक्त आधार पर की जा सकेगी।

4.5 निदेशक ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को अगले अधिवेशन में बोर्ड की जानकारी में लाएगा।

4.6 तदर्थ नियुक्तियां संकाय के कुल कर्मचारिवृंद के 5-10% से अधिक नहीं होगी।

4.7 किसी तदर्थ नियुक्ति को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिनियमों के पैरा 4.2 और 4.3 के अनुसार एक वर्ष के भीतर सामान्य रिक्ति के संबंध में नियमित चयन की प्रक्रिया द्वारा भरा जाना होगा।

5. कैरियर तरक्की स्कीम

5.1 पांच वर्ष को समाधानप्रद सेवा के पश्चात् सहायक प्रोफेसर से सह-प्रोफेसर तथा सह-प्रोफेसर से प्रोफेसर के अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने के लिए उपबंध किया जाना चाहिए। यह बहुत कठोर चयन प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। इस प्रणाली की विश्वसनीयता, कार्यकरण मूल्याकंन की दक्ष और सुकार्य प्रणाली को रखने पर निर्भर करेगा। इसमें निम्नलिखित को आवश्यक रूप से विचार में रखा जाएगा:-

(क) संकाय को वार्षिक मूल्याकंन रिपोर्ट।

(ख) छात्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष का मूल्याकंन अभिलेख।

(ग) प्रकाशनों, रिपोर्टों, पेटेंटों आदि का अभिलेख।

(घ) संस्थान के विकास के लिए संकाय द्वारा किया गया योगदान।

(ड.) परियोजनाओं, पुरस्कारों आदि के रूप में बाहरी अभिकरणों से प्राप्त मान्यता।

इन उपलब्धियों की रिपोर्टों तथा अभिलेखों की दो बाह्य विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी, जिनकी सिफारिशें संस्थान के परिनियमों के पैरा 3.6 के अनुसार गठित चयन समिति के समक्ष रखी जाएंगी। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों पर अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने या अन्यथा के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी।

5.2 चयन समिति की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

5.3 किसी विभाग में संकाय पदों की कुल संख्या नियत रहेगी। किंतु पदधारी के संबध में संबंधित पदों के उन्नयन में नमनीयता अनुज्ञात की जाएगी। इस प्रकार संकाय सदस्य की योग्यता को उच्चतर काडर में पद की उपलब्धता पर ध्यान दिए बिना मान्यता दी जाएगी। इस उपबंध का संस्थान के बृहत हित में बहुत ही विवेकपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए।

5.4 उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने से सीधी भर्ती द्वारा होने वाले पश्चात्वर्ती प्रवेश के उपबंध पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तथापि, इस स्कीम के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में रखे गए संकाय के सदस्य, उच्चतर पद के सभी विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त करेंगे।

[5][6. नियुक्तियां

6.1 राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नियमित आधार पर नियुक्त करने को नीति अंगीकृत करता है।

6.2 राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली के अनुमोदन से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून एक अधिकारी होगा, जो विद्यमान संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का परीक्षण और सिफारिश पर विचार करेगी, के साथ-साथ निम्नलिखित कसौटियां होंगीः-

(i) जब विद्यमान संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है तो क्या निष्पक्ष और पारदर्शी रीति का पालन भर्ती की किसी नियमित पद्धति का पालन किया गया था।

(ii) क्या उसका पूर्व अनुपालन और सेवा अभिलेख संतोषप्रद पाए गए थे।

(iii) क्या वह अपनी नियुक्ति के समय उक्त विशिष्ट पद के लिए दी गई अर्हताओं को पूर्ण करता है जब उसे नियमितिकरण के लिए विचार किया गया है।

7. नये संकाय सदस्यों की खोज

7.1 प्रतिभा की खोज व्यक्तिगत संपर्कों के द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। यदि पर्याप्त संख्या में भावी अभ्यार्थियों की विदेश में पहचान हो सकती है, तो निदेशक द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए तथा उनकी उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए एक दौरे का आयोजन किया जा सकता है।

[5] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.433(अ), दिनांक 3.7.2014 (7.7.2014 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पहले, क़ानून 6 इस प्रकार था: **"6. संकाय के अनुबंधों की समीक्षा**

6.1 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में संविदा के आधार पर नियुक्तियां करने की नीति अपनाई जाती है। संविदा की अवधि पांच वर्ष रखी गई है।

6.2 संविदा पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित की जा सकेगी :-

- निदेशक, अध्यक्ष
- संकायाध्यक्ष
- संबद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष
- राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के बाहर से दो विशेषज्ञ।

6.3 अन्य प्रक्रियाएं परिनियमों के पैरा 5.1 से 5.2 के अधीन विहित किए गए अनुसार होंगी।

7.2 निदेशक की सिफारिशों, संबद्ध अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता के बारे में परिनियमों के पैरा 3.6 के अधीन अधिकथित किए गए सम्यक् रूप से नियुक्त की गई चयन समितियों द्वारा विचार किया जा सकता है।

7.3 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन की सामान्य प्रक्रिया का आवश्यक अनुवर्तन हेतु अनुपालन किया जाता रहना चाहिए।

8. श्रेष्ठता बतौर प्रमाणक

8.1 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में श्रेष्ठता को विशिष्टता का प्रतीक बनाए रखा जाना है। यदि संस्थान को अपने सृजन और राष्ट्र के सर्वोतम हितों की पूर्ति के लिए बनाए रखने को न्यायोचित सिद्ध करना है तो सभी स्तरों पर गुणवत्ता को बनाए रखना होगा।

8.2 संविदाओं का पुनर्विलोकन [***][6] करते समय पहले से ही आसीन संकाय की प्रोन्नति, नए संकाय की भर्ती तथा तदर्थ नियुक्तियां करते समय भी गुणवता ही मुख्य मापदंड होनी चाहिए। श्रेष्ठता की भावना से कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

[7][**9 निदेशक की नियुक्ति** -(i) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परिषद द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से संविदा के आधार पर पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए की जाएगी, जिसे पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते कि ऊपरी आयु सीमा सत्तर वर्ष से अधिक न हो।

(ii) संस्थान के निदेशक, संस्थान और निदेशक के बीच किए गए सेवा संविदा की शर्तों और निबंधनों द्वारा शासित होंगे, जो अनुसूची के अनुसार दिए गए हैं।]

10. प्रतिभाशाली और असाधारण योग्यता वाले वैज्ञानिकों में से प्रतिष्ठित प्रोफेसर की नियुक्ति, चाहे भीतर से हो या बाहर से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई. टी.) में ऐसे प्रतिष्ठित प्रोफेसर को लागू निर्धारित वेतन पर की जा सकेगी।

11. प्रतिभापीठों की स्थापना

इन पीठों के लिए चयन सामान्य से कहीं अधिक कठोर होना चाहिए। इन पीठों के लिए वेतन का निर्धारण इस संबंध में दानकर्ताओं द्वारा निर्धारित तथा संस्थान द्वारा स्वीकृत शर्तों के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति इस चयन के लिए आधार को अभिलिखित करेगी।

12. वेतन ढांचा तथा संबंधित मुद्दे

12.1 वेतन ढांचा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई. टी.) के संकाय को लागू वेतन से तुलनीय होगा।

12.2 संकाय के वेतनमान वहीं रखे जाएंगे, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) के संकाय को लागू हैं। इसका अर्थ है कि वर्तमान वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

[6] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.433(अ.सा.), दिनांक 3.7.2014 (7.7.2014 से प्रभावी) के तहत शब्दों "अनुबंधों" को हटा दिया गया।

[7] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 692(अ.सा.), दिनांक 26.9.2023 (26.9.2023 से प्रभावी) के तहत प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन से पहले क़ानून 9 इस प्रकार था:
"9. निदेशक की नियुक्ति-नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण किए जाने योग्य होगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

वर्ग	वेतनमान
प्राध्यापक (लेक्चरर)	8000-275-13,500
प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतमान)	10,000-325-15,200
सहायक प्रोफेसर	12,000-420-18,300
सह प्रोफेसर	16,400-450-20,000
प्रोफेसर	18,400-500-22,400
निदेशक	25,000 (नियत)
प्रतिष्ठित प्रोफेसर	25,000 (नियत)
प्रतिभापीठ	बातचीत द्वारा तय किया जाएगा

12.3 भविष्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के वेतनमानों के पुनरीक्षण से संबंधित कोई भी निर्णय राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के संकाय पर लागू होगा।

[8][12.4 स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु

(क) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (संकाय), उस मास के अंत में, जिसमें वह 65 वर्ष की आयु का हो जाता है, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा।

(ख) सभी गैर-संकाय कर्मचारिवृंद, उस मास के अंत में, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु का हो जाता है, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा।

IndiaCode

13. अन्य सुख-सुविधाएं/भत्ते

13.1 नाईपर का संकाय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) को लागू किए गए अनुसार मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत (एल. टी. सी.) तथा अन्य भत्तों एवं ऋणों के लिए हकदार होगा।

13.2 इसके अतिरिक्त, संस्थान के संकाय को उनके व्यवसायिक विकास में उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित विशेष भत्ते दिए जाएंगे।

13.2.1 व्यवसायिक समितियों की सदस्यता/पत्रिकाएं प्राप्त करना

प्रत्येक संकाय सदस्य, सदस्यता की लागत पर या पत्रिकाओं के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 5,000 रुपए तक की 50% सब्सिडी प्राप्त करेगा, जिसका भुगतान वाउचर पेश करने पर किया जाएगा।

13.2.2 पुस्तक भत्ता

प्रत्येक संकाय सदस्य को अधिकतम 5,000/-रु. वार्षिक तक पुस्तक भत्ता दिया जाएगा, जिसका भुगतान वाउचर पेश करने पर किया जाएगा। पुस्तकें अंत में संस्थान के पुस्तकालय का भाग होंगी।

[8] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 355, दिनांक 27.11.2019 (दिनांक 30.11.2019 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।

13.2.3 सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्ति

संकाय सदस्यों को अपना कार्य प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की प्रतिनियुक्ति वर्ष में एक राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से अधिक के लिए नहीं होगी, बशर्ते कि प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज सम्मेलन के आयोजकों द्वारा स्वीकार किए गए हों या संबद्ध संकाय सदस्य को सम्मेलन में लैक्चर देने या सम्मेलन/अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया हो या वह सम्मेलन में पदाधिकारी हो।

14 संस्थान के निदेशक, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य

नीचे सारणी-2 के स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट, निदेशक, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य वे होंगे, जो स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

IndiaCode

सारणी II	
(1)	(2)
निदेशक	(क) समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार व्यय उपगत करना। (ख) चयन समिति की सिफारिशों पर किसी अभ्यर्थी का प्रारंभिक वेतन न्यूनतम वेतनमान से उच्च स्तर पर निर्धारित करना किंतु अधिनियम के उपबंधों द्वारा उसे विहित शक्तियों के अधीन उसके द्वारा की जा सकने वाली नियुक्तियों से संबंधित पदों की बाबत पांच वेतन वृद्धियों से अधिक नहीं होगा। (ग) आपवादिक मामलों में और निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, निदेशक द्वारा बोर्ड को रिपोर्ट करने के अधीन रहते हुए, अनुमोदित वेतनमान पर दो वर्ष से अनधिक, की अवधि के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से अस्थायी पद सृजित करने की शक्ति होगी। परंतु ऐसा कोई पद, जिसके लिए निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, इस प्रकार सृजित नहीं किया जाएगा। (घ) संस्थान के प्रोफेसरों में से संकायाध्यक्ष की नियुक्ति करना। (ङ) विभाग के प्रोफेसरों में से विभागाध्यक्ष को पदाभिहित करना। यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है, तो निदेशक स्वविवेकानुसार उस विभाग के किसी सह/सहायक प्रोफेसर को अंतरिम अवधि के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा। (च) संस्थान के प्रोफेसरों/सह-प्रोफेसरों/सहायक प्रोफेसरों में से वार्डन (वार्डनों) की नियुक्ति करना। (छ) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रार अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करना, जिन्हें रजिस्ट्रार योग्य समझे।

	(ज) लेखा संहिता नियमों, मूल और अनुपूरक नियमों और सरकार के अन्य नियमों के प्रयोजनों के लिए, जहां तक ये संस्थान के कारवार के संचालन को लागू होते हैं या लागू किए जाएं, किसी विभागाध्यक्ष की शक्ति। (झ) संस्थान और निदेशक के बीच किसी संविदा करार के सिवाए, संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाएं, जब बोर्ड द्वारा इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया जाए, लिखित में होंगी और संस्थान के नाम में की गई अभिव्यक्त की जाएंगी और ऐसी प्रत्येक संविदा संस्थान की ओर से निदेशक या रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित की जाएगी किंतु निदेशक/ रजिस्ट्रार ऐसी संविदा के अधीन किसी भी बात के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। (ञ) बोर्ड, सीनेट विद्या संबंधी योजना और विकास समिति, वित्त समिति और प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति के अधिवेशन बुलाना या बुलवाना। (ट) उन क्षेत्रों में, जहां संस्थान में पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, विद्या-संबंधी योजना और विकास समिति की सिफारिश पर संस्थान के बाहर में अतिथि संकाय या परामर्शियों के रूप में व्यक्तियों को ऐसे निबंधनों पर जो उसके द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, आमंत्रित करना। (ठ) समय-समय पर बोर्ड द्वारा बनाए गए ऐसे अनुबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पृथक मामले में बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि की सीमा तक उचित टूट-फूट के कारण अप्रयोज्य बने या गुमशुदा भंडारों के अधिक संदाय, अवलिखित अवसूलनीय हानियों और अवसूलनीय लागत की वसूली को छोड़ना। (ड) जब निदेशक का पद रिक्त हो या निदेशक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब उसके पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जिसे वह योग्य समझे। किंतु फिर भी ऐसी व्यवस्था 30 दिन से अधिक के लिए नहीं होगी। 30 दिन से अधिक के लिए निदेशक के पद के लिए वर्तमान पदभार व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक बोर्ड का अनुमोदन होना चाहिए। (ढ़) बोर्ड के अनुमोदन से, अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसमें निहित किन्हीं शक्तियों, उत्तरदायित्वों और प्राधिकारों को संस्थान के शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारियों के किसी एक या अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा। (ण) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिग्रियां प्रदान करने के लिए संस्थान के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और संस्थान के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा सम्बोधन करने के लिए हकदार होगा, किंतु वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न होने पर उसमें मत देने का हकदार नहीं होगा। (त) यह देखना कि, अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक्

	रूप से पालन किया जा रहा है और ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए उसको आवश्यक सभी शक्तियां होंगी। (थ) नियमों के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना और उन्हें निलंबित करना तथा जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें चेतावनी देना और कोई भी शास्ति अधिरोपित करना : परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई और उसके संबंध में किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले निदेशक के किसी आदेश के विरूद्ध अपील अध्यक्ष को होगी। (द) अपना पदभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा : परंतु कुलाध्यक्ष (विजिटर) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निदेशक, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, ऐसी अवधि के लिए पद पर बना रहेगा, जो एक वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी, जैसा निदेश से विनिर्दिष्ट की जाए। (ध) ऊपर खंड (द) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने पद की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा। पत्र सं. 52/8/98-पी.आई.-III/एन. आई. पी. ई. आर, तारीख 28 फरवरी, 2002 द्वारा संशोधित। संशोधन : व्यवस्थापक बोर्ड ने राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के खंड 9 के संशोधन के अनुमोदन की तारीख से खंड 14 (ध) को हटाने का संकल्प किया।
संकायाध्यक्ष	(क) शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य में तथा अन्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ तथा औद्योगिक उपक्रमों और अन्य कर्मचारियों के साथ संपर्क कायम करने में निदेशक को सहयोग देना। (ख) तीन वर्ष के लिए पदधारण करेगा और एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उपरी आयु सीमा [9][65] वर्ष से अधिक न हो जाए।
विभागाध्यक्ष	ऐसे कार्य करना, जो निदेशक द्वारा अवधारित किए जाएं।
रजिस्ट्रार	(i) बोर्ड के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने की हकदार निकायों को उस तारीख से, जिसको ऐसे निमंत्रण उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, साधारणतया चार सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसा करने के लिए निमंत्रण देना। बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु भी ऐसी ही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

[9] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 355, दिनांक 27.11.2019 (दिनांक 30.11.2019 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।

	(ii) बोर्ड, सोनेट, वित्त समिति, प्रयोगशाला सेवाएं, भवन और निर्माण समिति का पदेन सचिव होना, किंतु तब तक इन प्राधिकरणों का सदस्य नहीं माना जाएगा जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो। (iii) संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होना, क्योंकि बोर्ड उसके पदभार के लिए वचनबद्ध रहेगा। (iv) बोर्ड, सीनेट, अध्ययन बोर्ड तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के अधिवेशन बुलाने संबंधी सभी सूचनाएं जारी करना। (v) बोर्ड, सीनेट तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना। (vi) बोर्ड, सीनेट तथा विभिन्न समितियों के कार्यालय संबंधी पत्राचार का संचालन करना। (vii) अध्यादेशों द्वारा विहित रीति के अनुसार संस्थान की परीक्षाओं का प्रबंध तथा अधीक्षण करना। (viii) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रार निम्नलिखित कार्य करेगा:- (1) संस्थान की निधियों पर सामान्य अधीक्षण रखना तथा संस्थान के वित्तीय मामलों के संबंध में उसे सलाह देना। (2) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करना, जो निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं: परंतु रजिस्ट्रार निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई व्यय उपगत नहीं करेगा या कोई विनिधान नहीं करेगा। (3) न्यास तथा धर्मस्व संपत्ति सहित संस्थान की संपत्ति और विनिधानों को धारण करना तथा उनका प्रबंध करना। (4) यह सुनिश्चित करना कि एक वर्ष की आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चे के लिए बोर्ड द्वारा नियत सीमाएं अधिक न हों और सभी धन का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किए गए हैं। (5) संस्थान के वार्षिक लेखाओं और बजट तैयार करने के लिए और उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा। (6) नकद, बैंक अतिशेषों और निवेशों की स्थिति पर लगातार नजर रखना। (7) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखना और नियोजित संग्रहण की पद्धतियों के संबंध में सलाह देना।

IndiaCode

	(8) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टरों को अद्यतन रखा जाता है तथा संस्थान के सभी कार्यालयों, विभागों, केंद्रों तथा प्रयोगशालाओं में उपकरणों तथा अन्य उपभोज्य सामग्रियों के स्टाक का निरीक्षण किया जाता है। (9) अनधिकृत खर्चें तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण मांगना तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सुझाव देना। (10) संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, विभाग, केंद्र तथा प्रयोगशाला से किसी ऐसी जानकारी या विवरणी की मांग करना, जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे। (11) संस्थान को देय किसी धनराशि के लिए रजिस्ट्रार या निदेशक द्वारा इस निमित्त सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी। (i) संस्थान द्वारा या उसके विरूद्ध किसी वाद या कार्यवाहियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवाक सत्यापित करना या उस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना। (ii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो, समय-समय पर, बोर्ड या निदेशक द्वारा अपेक्षित किए जाएं।

IndiaCode

15. भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान स्कीम

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सभी कर्मचारी, समय-समय पर संशोधित, साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960-सह-पेंशन-सह-उपदान स्कीम तथा अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962-सह-उपदान स्कीम में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

16. छुट्टियां तथा अवकाश

संस्थान के कर्मचारिवृंद इसमें इसके पश्चात् उपदर्शित भिन्नता/परिवर्धनों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 द्वारा शासित होंगे-

(क) सामान्य प्रक्रम में अधिकतम दो बार अर्जित अवकाश तथा आपात के मामले में तीसरी बार।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के अनुसार धार्मिक अवकाश की व्यवस्था।

(ग) अवकाश विभाग की तरह अर्जित अवकाश की व्यवस्था।

17. कर्मचारिवृंद के लिए निवास-स्थान

(क) संस्थान, व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले "निवास आवंटन (राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियमों" के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कैम्पस के भीतर असज्जित मकान आबंटित करे सकेगा।

(ख) व्यवस्थापक बोर्ड, संस्थान के हित में अनिवार्य समझे जाने पर किसी भी कर्मचारी वर्ग के लिए लाईसेंस फीस उद्गृहीत किए बिना या रियायती दरों पर ऐसी फीस उद्गृहीत करके सुसजित या असज्जित आवास आबंटित कर सकेगा।

18. यात्रा भत्ते

संस्थान के सभी कर्मचारी, समय-समय पर यथासंशोधित, भारत सरकार के अनुपूरक नियम (यात्रा भत्ता) के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भतों के लिए, निम्नलिखित भिन्नता/वृद्धि के अधीन रहते हुए, हकदार होंगे।

(क) स्थानीय वाहन प्रभार की वापसी केवल आवश्यकता के आधार पर तथा विनिर्दिष्ट मामलों में ही की जाएगी, जिसका विनिश्चय संस्थान के निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(ख) समूह'क' अधिकारियों के लिए दौरे पर मंहगाई भत्ते का भुगतान (होटल प्रभारों सहित) सी एस आई आर पेटर्न के अनुसार ही होगा।

IndiaCode

19. चिकित्सीय परिचर्या

संस्थान के कर्मचारी, निम्नलिखित भिन्नता/वृद्धि के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1944 द्वारा शासित होंगे:-

(क) ए.एम.ए. की सलाह पर निजी प्रयोगशालाओं से पैथालोजिकल परीक्षणों की लागत पीजीआई, चंडीगढ़/एआईआईएमएस, नई दिल्ली की दरों तक सीमित हो सकेगी।

(ख) निजी ए.एम.ए. द्वारा डेंटल सर्जन से दांतों के इलाज की लागत को भी पीजीआई, चंडीगढ़ एआईआईएमएस, नई दिल्ली की दरों तक सीमित किया जाएगा।

20. आचार नियम

संस्थान के कर्मचारी, समय-समय पर यथासंशोधित, केंद्रीय सिविल सेवा (आचार) नियम, 1964 द्वारा शासित होंगे।

21. अनुशासन और अपीलें

संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे।

22. परामर्श

संस्थान के कर्मचारी संविदा अनुसंधान कर सकते हैं तथा अनुसूची' ए' में अधिकथित परामर्शी तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

23. प्रकीर्ण

संपूर्ण परिनियम या उसके भाग में कोई उपातंरण, परिवर्तन और संशोधन या निरसन अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा।

IndiaCode

[10][अनुसूची

कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति की पांच वर्ष के लिए संविदा पर संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है और नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति को इसके पश्चात् आने वाली निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार करता है।

अतः, अब, उपस्थित साक्षी और इसके पक्षकार क्रमशः निम्नलिखित के लिए सहमत हैं:-

(1) सेवा का करार, हर समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा, जो स्थायी पुष्ट किए गए कर्मचारियों पर समय-समय पर यथा लागू के रूप में संस्थानों को समाविष्ट करते हुए प्रवृत्त होते हैं।

(2) नियुक्त व्यक्ति, संविदा के अधीन पद धारण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा पर रहेगा।

(3) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान का प्रधान शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी होगा और उक्त अधिनियम में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में संस्थान की सेवा करेगा ।

(4) नियुक्त व्यक्ति, अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में समर्पित करेगा और आचार नियमों तथा उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा । नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी सेवा के दौरान या उसके संबंध में प्राप्त की गई कोई सूचना और वह कार्य जिसके लिए वह नियोजित है, गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति सभी पहलुओं में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 (1923 का 19) के अधीन समझा जाएगा।

(5) अपनी सेवा अवधि के दौरान निलंबन की किसी भी अवधि और बिना वेतन छुट्टी की किसी अवधि के भी सिवाय, नियुक्त व्यक्ति भारतीय आयकर के अधीन दो लाख पच्चीस हजार (नियत) के वेतनमान का हकदार होगाः

परंतु यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है, तो उसकी प्रतिनियुक्ति के दौरान उसका वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो शासी बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं, इसके अतिरिक्त नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ते, नगर प्रतिकरात्मक भत्ते, आदि, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हों, आहरित करेगा ।

(6) इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्त व्यक्ति, संस्थान द्वारा जब तक अन्यथा विनिश्चित नहीं किया जाए वेतनमान के पुनरीक्षण और सेवानिवृत्ति फायदों में किसी भी सुधार के फायदों को पूर्णतः या भागतः, जो संस्थान द्वारा अवधारित किए जाएं, प्राप्त करने का हकदार होगा, जो संस्थान की उस शाखा के सेवा सदस्यों के निबंधनों और शर्तों में इन विलेखों की तारीख के अधीन रहते हुए संस्थान द्वारा प्रभावी हो सकेगा, जिस सेवा से वह तत्समय संबंधित हो, नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार की बाबत संस्थान का विनिश्चय प्रचालित होगा, जिससे इन विलेखों के उपबंधों को उस विस्तार तक उपांतरित किया जा सके।

(7) नियुक्त व्यक्ति परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैर-प्रावकाश कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी के हकदार होंगे।

(8) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति फीस से मुक्त कार्यालय-सह-आवासीय आवास सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाए।

[10] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 692(अ), दिनांक 26.09.2023 (दिनांक 26.09.2023 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।

(9) नियुक्त व्यक्ति, विद्यमान नियमों के अनुसार चिकित्सा सहायता और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा।

(10) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोकहित में स्थानांतरण के रूप में मानते हुए केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते संदत्त किए जाएंगे। यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के कार्य के हित में यात्रा किया जाना अपेक्षित है, तो वह संस्थान के समय-समय पर प्रवृत्त यात्रा भत्ता नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और वेतनमान का हकदार होगा।

(11) नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने खर्च पर प्रकाशित की गई पुस्तकों और लेखों से प्राप्त कोई रकम उस क्षेत्र में अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उसके पास छोड़ दी जाएगी। उसे, बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्श देने और उसके लाभों को बनाए रखने की अनुमति भी दी जाएगी।

(12) इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति को कोई कारण बताए बिना तीन कैलेंडर मास उसकी लिखित सूचना देकर किसी भी समय संस्थान द्वारा संविदा की अवधि के दौरान की सेवा का पर्यवसान किया जा सकेगाः

परंतु संस्थान, यहां प्रदत्त की गई सूचना के बदले में नियुक्त व्यक्ति को तीन महीने के उसके मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि दे सकता है। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवाओं का पर्यवसान कर सकेगा।

(13) नियुक्त व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता के विभाग में प्राचार्य की प्रास्थिति अनुज्ञात की जाएगी और वह अपनी सुविधा के अधीन रहते हुए उक्त विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेगा ।

(14) किसी अन्य विषय की बाबत, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा शासित होगा।

उपरोक्त लिखित के साक्षी के रूप में संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें पहले तारीख और वर्ष लिखकर हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षर और संस्थान के शासी बोर्ड
के द्वारा राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और
अनुसंधान संस्थान के लिए परिदत्त

हस्ताक्षरित पतों के साथ साक्षियों के हस्ताक्षर की उपस्थिति में और उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा साक्षी, _____पता_____की उपस्थिति में निदेशक राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान _____को परिदत्त किया गया।"

परिशिष्ट-क

(परिनियम 22 देखें)

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संकाय संविदा अनुसंधान कर सकती है तथा परामर्शी और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान कर सकती

1. संविदा अनुसंधान :

संविदा अनुसंधान में इस प्रयोजन के लिए किए गए विनिर्दिष्ट संविदागत व्यवस्था के माध्यम से किए गए सभी अनुसंधान और विकास शामिल होंगे तथा उसके अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे:-

1.1क. प्रायोजित परियोजनाएं: परियोजनाओं का पूर्ण वित्त प्रबंध ऐसे ग्राहक द्वारा किया जाएगा, जिसकी विनिर्दिष्ट अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञता है और सुपरिभाषित आशयित परियोजना परिणाम, सामान्यता बौद्धिक संपदा के उत्जनन में शिखर पर हैं। प्रायोजित परियोजनाएं बहु-ग्राहकों के लिए भी हो सकेंगे, जिनके लिए प्रयोजकों को परियोजना वित्त प्रबंध और अनुसंधान परिणामों में भागीदारी करनी होगी।

1.1ख. सहयोगी परियोजनाएं: इसका अंशतः वित्त प्रबंध ग्राहक द्वारा तथा पूरक प्रबंध संस्थान द्वारा कुशल मानव शक्ति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के निरीक्षण के लिए भारी मात्रा में उत्पाद के उत्पादन/फैब्रिकेशन, जैसे अंतः निदेशों के उपबंध द्वारा किया जाता है। सहयोगी परियोजनाएं प्रयोगशाला स्तर की जानकारी, प्रौद्योगिकी विकास या बौद्धिक संपदा के उत्जनन, आदि को बढ़ाने/सिद्ध करने के लिए हो सकेंगी। आशयित परियोजना के बाह्य/अंतः निवेश परिणाम सुपरिभाषित हैं।

1.1ग. सहायता अनुदान परियोजनाएं: सहायता अनुदान परियोजनाएं, सामान्यत आधारभूत या अन्वेषणात्मक अनुसंधान या अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रख-रखाव या सृजन परीक्षण में सहयोग करने के लिए होती हैं। इन परियोजनाओं में वित्तीय निवेश अंशतः या पूर्णतः अन्य रूप में सहयोग जैसे उपकरण, पुरक हेतु प्रशिक्षण चल रही या नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रयत्नों का नई क्षमताओं/सुविधाओं की संरचना के रूप में अनुदान शामिल होगा।

1.2. संविदा अनुसंधान परियोजना की लागत :

1.2.1 संविदा अनुसंधान के लिए प्रभारों में निम्नलिखित के संबंध में व्यय शामिल होंगे:

(क) लगाए गए कर्मचारियों के कामकाज के दिवसों की लागत।

(ख) 25% अतिरिक्त खर्चे सहित उपभोज्य/कच्चे माल कलपुर्जों की लागत।

(ग) 25% अतिरिक्त खर्चा सहित भौतिक निवेशों/सेवाओं/उपयोगिताओं की लागत।

(घ) प्रयुक्त उपकरणों की लागत/परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट रूप से खरीदे गए उपकरण की लागत।

(ङ) किया गया कोई भी बाहरी भुगतान।

(च) यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता।

(छ) आकस्मिकताएं।

कुल व्यय क से छ तक का योग।

1.2.2. बौद्धिक फीस: 1.2.1 में के अनुसार कुल व्यय का न्यूनतम 33.3%।

1.2.3. किसी भी प्रायोजित अनुसंधान के लिए बौद्धिक संपदा के लाईसेंस देने का अधिकार राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पास होगा। सहयोगी अनुसंधान की दशा में, ऐसे अधिकार राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा सहयोगी संस्थान के पास होंगे, संविदा अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा व्यापारिक उपयोग हेतु लाईसेंसिंग द्वारा संयुक्त रूप में धारित की जाएगी।

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान फीस के रूप में पर्याप्त राशि प्रभारित करेगा। यह एकमुश्त तथा/या आवर्ती रायल्टी हो सकती है।

टिप्पण: जहां कहीं साध्य हो, प्रयोजक को गैर-अनन्य लाईसेंस फीस दी जाएगी, जो कि बौद्धिक संपदा के व्यापारिक उपयोग के लिए 5 वर्ष से अनधिक की सीमित अवधि हेतु अनन्य लाईसेंस है।

1.2.4. परियोजना लागत: कुल व्यय + बौद्धिक फीस + लाईसेंस फीस ।

1.3. कर्मचारियों द्वारा धन का अंशभाजन:

बौद्धिक फीस या शुद्ध बकाया (सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परियोजना व्यय का हिसाब लगाने के पश्चात् शेष) का चालीस प्रतिशत, जो संविदागत अनुसंधान और विकास से प्राप्ति से निम्नतर हो, कर्मचारियों के साथ अंशभाजित किया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए अंशभाजित का पैटर्न निम्नानुसार है :

कर्मचारिवृंद	**अंश**
(i) अन्वेषक तथा प्रमुख अभिदायकर्ता	40%
(ii) एस एंड टी (सहयोगी कर्मचारिवृंद)	35%
(iii) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शेष सहयोगी कर्मचारिवृंद	20%
(iv) कल्याण निधि	5%

2. परामर्श

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में सभी परामर्शी सेवाएं संस्थागत होंगी। परामर्श के दो वर्ग होंगे, अर्थात् -

2.1.1 सलाहकार परामर्श

जहां कहीं सेवाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरी या अन्य व्यावसायिक सलाह शामिल होगी, जो कि किसी ग्राहक को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से बाहर दिए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) के उपलब्ध विशेषज्ञ ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्रदान की जाएगी वहां इसमें न तो राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की कोई भी सुविधाओं के प्रयोग शामिल होंगे और न ही इसमें किसी भी किस्म का सर्वेक्षण, विस्तृत अध्ययन या रिपोर्ट की तैयार करना/प्रस्तुत करना शामिल होगा।

2.1.2. सामान्य परामर्श

जहां कहीं सेवाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरी या अन्य व्यावसायिक सलाह/सहयोग शामिल होगा, जो कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के उपलब्ध ज्ञान के आधार/विशेषज्ञता पर आधारित होगा वहां इसमें केवल परामर्श समनुदेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रयोग हेतु प्रयोगशाला सुविधाओं का न्यूनतम प्रयोग ही शामिल होगा। अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य परामर्श के अंतर्गत निम्नलिखित भी आ सकेंगे-

- साहित्य सर्वेक्षण/साध्यता अध्ययन तैयार करना, कला/परियोजना/प्रौद्योगिकी की भावी दशा की रिपोर्टों को तैयार करना।
- परीक्षण परिणामों और आंकड़ों का निर्वचन तथा विधिमान्यकरण, जोखिम और खतरा/पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण आदि।
- डिजाइन इंजीनियरी।
- उपकरणों का संन्निमार्ण, चालू करना, संचालन, संरचना/प्रदान करने और क्रय करने, संकट निवारण, उत्पादकता सुधार, प्रदूषण घटाव/नियंत्रण उपाय ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट के उपयोग, प्रौद्योगिकी निर्धारण मूल्यांकन में सहायता देना।

2.1.3. सलाहकार परामर्शी वर्ग के अधीन दृढ़ता से न आने वाले किसी भी परामर्श कार्य को सामान्य परामर्श के रूप में लिया जाएगा।

IndiaCode

2.2 परामर्श परियोजना की लागत

2.2.1. परामर्श परियोजना के लिए लागत में निम्नलिखित के मद्दे व्यय शामिल होगा:

(क) लगाए गए कर्मचारियों के कामकाज दिवसों की लागत।

(ख) 25% अतिरिक्त खर्चे सहित भौतिक निवेश/सेवाओं/उपयोगिताओं/उपभोज्य कच्ची सामग्री/कलपूर्जी की लागत।

(ग) प्रयुक्त उपकरणों की लागत।

(घ) परिकल्पित बाहरी भुगतान अर्थात् बाहरी परामर्शदाताओं, आंकड़े प्राप्त करने, अवसंरचनात्मक सुविधाओं को किराए पर लेने के लिए।

(ङ) यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता।

(च) आकस्मिकताएं

टिप्पण: कुल लागत = क से च तक का योग।

2.2.2. बौद्धिक फीस

यह उपलब्ध कराए गए निवेश की गुणवत्ता तथा परामर्श के परिणामस्वरूप ग्राहक से प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के अनुरूप होनी चाहिए। यद्यपि प्रभारित की जाने वाली बौद्धिक फीस की ऊपरी सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथापि, यह अनुमानित मानव शक्ति प्रभारों से कम नहीं होनी चाहिए।

2.3 मानदेय का वितरण

सलाहकार परामर्श के लिए

बौद्धिक फीस की अधिकतम 2/3 तक वितरण योग्य राशि निम्नानुसार है:

परामर्शदाताओं का दल	95%
कल्याण निधि	5%

सामान्य परामर्श के लिए

उद्गृहीत बौद्धिक फीस की अधिकतम 2/3 तक या मानव शक्ति प्रभारों की 300% तक वितरण योग्य राशि, जो भी कम हो, निम्नानुसार होगी:

परामर्शदाताओं का दल	65%
अन्य एस एंड टी कर्मचारिवृंद	15%
शेष सहयोगी कर्मचारिवृंद	15%
कल्याण निधि	5%

IndiaCode

3. बौद्धिक संपदा

बौद्धिक संपदा में पेटेंट, कापीराईट, रजिस्ट्रीकृत आरेखन, व्यापार-चिह्न, प्रक्रिया/उत्पाद/आरेखन तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर के लिए जानकारी शामिल होगी। बौद्धिक संपदा दो प्रकार की होगी।

3.1.1 विल्लंगमरहित

(i) यह पूर्णतः घरेलू अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं द्वारा विकसित होती है। ऐसे मामलों में बौद्धिक संपदा का स्वामित्व ही एक मात्र रूप से ऐसा है, जो राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का ही है तथा परिणामस्वरूप लाईसेंस देने के अधिकार भी केवल राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पास हैं।

(ii) बौद्धिक संपदा का विकास ग्राहक के साथ संविदाजन्य प्रबंध के अनुसार संविदा अनुसंधान तथा बाद में भारमुक्त होने पर होता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान द्वारा बौद्धिक संपदा की लाइसेंसिग ग्राहक के साथ तृतीय पक्षकार लाइसेंसिग के संबंध में तय किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगी।

3.1.2 विल्लंगमित

इसका विकास संविदा अनुसंधान अर्थात् प्रयोगकर्ताओं/ग्राहकों से पूर्णतः या अंशतः वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी निवेश सहित/रहित, द्वारा होता है। ऐसे मामलों में, वाणिज्यिक उपयोग हेतु बौद्धिक क्षमता का स्वामित्व तथा लाइसेंस देना राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की इस विषय में ग्राहक के प्रति बाध्यताओं द्वारा शासित होगा।

3.1.3 बौद्धिक संपदा का लाइसेंस देना

बौद्धिक संपदा का लाइसेंस देने से, बौद्धिक क्षमता का उपयोग करने तथा परिणामिक उत्पाद (उत्पादों) को वाणिज्यिक/अधिकारिक प्रयोजन के लिए या अन्यथा सहमति से विक्रय का उपयोग करने के अधिकार का लाइसेंस प्रदान करना अभिप्रेत है।

3.2 बौद्धिक संपदा की कीमत लगाना

बौद्धिक संपदा का मूल्य निर्धारण करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है और इसलिए, इसका अनुमान मामला-दर-मामला भिन्न रहता है। जानकारी/बौद्धिक संपदा का मूल्य सामान्यतः 5 वर्षों की उत्पादन अवधि के लिए संयंत्र और उपस्कर की लागत या यूनिट के प्रक्षेपित आवर्त के 2% में 10% के बीच होता है।

बौद्धिक संपदा का मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा:

(i) विकास की लागत।

(ii) लाईसेंस द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शुद्ध लाभ का अनुमान।

(iii) क्षमता लाइसेंस धारको का आकार और संख्या।

(iv) आयातित बौद्धिक संपदा की तुलनात्मक लागत।

(v) बौद्धिक क्षमता के चुराए जाने की संभावना।

(vi) अवसर मूल्य।

IndiaCode

4. तकनीकी सेवाएं

तकनीकी सेवाओं से मुवक्किलों/ग्राहकों को संस्थान की उपलब्ध जानकारी, विशेषज्ञता, कुशलता तथा सुविधाओं पर आधारित अल्प प्रकृति की सहायता देना अभिप्रेत है। तकनीकी सेवाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- परीक्षण तथा विश्लेषण (प्रमाणिकता तथा अंशशोधन सहित)
- प्रशिक्षण
- सलाहकार प्रकृति का तकनीकी सहयोग
- विशेष उत्पादों की संरचना/उत्पादन
- मरम्मत और रख-रखाव
- सूचना/डाटा आधारित आंकड़ों की आपूर्ति

4.1. तकनीकी सेवाओं के लिए प्रभार

प्रभारों के अंतर्गत निम्नलिखित (क+ख) शामिल होगा (सूचना/आंकड़ों के प्रदाय को छोड़कर)

क. निम्नलिखित पर अनुमानित व्यय :

(i) मानव शक्ति (विहित दरों पर)।

(ii) भौतिक निवेश/सेवाएं/उपयोगिताएं आदि, 25% अतिरिक्त व्यय सहित।

(iii) कच्चा माल/उपभोज्य कलपुर्जे, 25% अतिरिक्त व्यय सहित।

(iv) उपकरणों के प्रयोग से अवमूल्यन/प्रतिस्थापन की लागत।

(v) जेब खर्च में से कोई अन्य खर्च।

ख. बौद्धिक फीस/अवसर लागत। निदेशक अपने विवेक से ग्राहक के स्वभाव तथा उसकी भुगतान करने की क्षमता पर विचार करते हुए मात्रा निर्धारित करेंगे।

4.2 धन का वितरण

बौद्धिक फीस या शुद्ध बकाया का 20% (सेवा के लिए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करने के पश्चात् शेष राशि), जो भी कम हो, कर्मचारियों द्वारा अंशभाजित किया जाएगा। कर्मचारियों में अंशभाजन की विधि वहीं होगी, जो 1.3 में दी गई है।

IndiaCode